कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/2025/ 766 दिनांक :– 6 फरवरी, 2025

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेन्स, 1950 की धारा 7(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के जरिये जयपुर (पूर्व) सर्किल आदर्श नगर, उपखण्ड जयपुर, जिला जयपुर के क्षेत्र में वर्तमान में संचालित पुलिस थाना कानोता व खोह नागोरियान के क्षेत्रों को शामिल करते हुए नवसृजित पुलिस थाना जामड़ोली के क्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले ऐसे दीवानी प्रकरण, जो पूर्व में पुलिस थाना कानोता की सीमा में उत्पन्न हो रहे थे, सीधे ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था/2021/3196 दिनांक 10.08.2021 व स्था/13/2017/3963 दिनांक 26.08.2021 के अनुसार धन सम्बन्धी अधिकारिता के अध्यधीन रहते हुए बस्सी मुख्यालय स्थित संबंधित न्यायालय (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बस्सी, अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम–12 व अपर सिविल न्यायाधीश क्रम–15) में प्रस्तुत किये जायेंगे।

इसी प्रकार पुलिस थाना जामड़ोली के क्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले शेष ऐसे दीवानी प्रकरण जो राज0 सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार पूर्व के पुलिस थाना खोह नागोरियान की सीमा से संबंधित हैं, उनके संबंध में इस कार्यालय का पूर्व आदेश क्रमांक स्था/2020/3746 दिनांक 17.06.2020 प्रभावी रहेगा।

यह आदेश अस्थाई रूप से दिनांक 07-02.25 से लागू होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/2025/ 766 दिनांक :– 6 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय/जयपुर जिला
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
5. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम न्यायक्षेत्र
6. अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर/बस्सी/सांगानेर/चाकसू
7. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा
8. सिस्टम ऑफिसर को इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
9. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–प्रथम